RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

कृषि विकास का मूल्यांकनः विकासखण्ड भियाँव ,जनपद अम्बेडकर नगर(उ0प्र0)

डॉ0 मनोराज पाल

असिस्टेन्ट प्रो0– भूगोल विभाग स्व0रामराज वर्मा महावि0 सारंगपुर, सुलतानपुर (उ0प्र0)

प्रस्तावनाः–

प्रकृति–प्रदत्त संसाधनों में मिट्टी तथा जल का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मिट्टी में भी भूमि की सबसे ऊपरी सतह (20 से 25 सेमी0) विशेष महत्व की है, क्योंकि यही मानव जीवन, पेड़–पौधों व दूसरे शब्दों में प्राणि जगत के अस्तित्व का मूलाधार है। ऊपर से स्थिर दिखायी देने वाली यह सतह वास्तव में प्रकृति–प्रदत्त संसाधनों में सबसे अस्थिर संसाधन सिद्ध हुई है। यही सतह भियाँव विकासखण्ड की अर्थ–व्यवस्था की धुरी है, क्योंकि सम्पूर्ण कृषि विकास में भूमि की इसी सतह का उपयोग होता है। सामान्यतः भूमि उपयोग की दशाएं क्षेत्र विशेष के आर्थिक स्वरुप को स्पष्ट करती है। अतएव भूमि संसाधन उपयोग, भूमि समस्या एवं योजना सम्बन्धी विकास की धुरी है। कृषि विकास हेतु भूमि उपयोग नियोजन एवं कृषि सम्बन्धित कार्यों का योजनाबद्ध विकास अपरिहार्य है। वस्तुतः कृषि के आधुनिकीकरण के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाने में मुख्यालयों, सेवों–केन्द्रों की अहम भूमिका होती है। भूमि उपयोग नियोजन एवं सम्यक कृषि का ग्रामीण विकास में विशेष महत्व इस तथ्य में निहित है कि सीमित भूमि सांधन द्वारा ग्रामीण जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति भूमि उपयोग नियोजन से ही सम्भव है। फलतः भूमि के प्रत्येक इकाई के वर्तमान स्वरुप का विश्लेषण करना तथा अनुकूलतम् उपयोग को निर्धारित किया जाना अति आवश्यक है, जिससे अधिकतम् आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। स्थान एवं समय सापेक्ष्य में भू–उपयोग दशाएं भिन्न–भिन्न हो सकती हैं तथा परिवर्तन हुआ करता है। अध्ययन–क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के फलस्वरुप कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और वन, चारागाह, बागान, ऊसर आदि क्षेत्रों में कमी अयी है। ऊसर एवं कृषि अयोग्य क्षेत्रों में सुधार के फलस्वरुप कृषि क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। क्षेत्र में कृषि विकास हेतु सरकारी योजनाएं निरन्तर नये तकनीकी का विकास कर रही हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में कृषि संसाधन केवल जीवन निर्वाह का ही साधन नहीं अपितु यह एक स्वस्थ परम्परा एवं जीवन का अंग बन गया है। बारली महोदय ने भूमि संसाधन उपयोग को भूमि समस्या एवं नियोजन सम्बन्धी विवेचना की धुरी बताया है। अध्ययन प्रदेश के कृषि नियोजन एवं विकास हेतु भूमि उपयोग का विश्लेषण किया गया है।

सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरुपः–

भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है। मानवीय सभ्यता और उसकी आवश्यकताओं मे परिवर्तन के अनुसार भूमि उपयोग का स्वरुप बदलता रहता है, जिसमें परोक्ष रूप से कृषि विकास की अवस्थाएं अंकित करती हैं। कृषि कार्य में विविधता एवं विशिष्टता भूमि उपयोग के विकास क्रम की द्योतक है तथा ये मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्य–कलापों को प्रभावित करती हैं। यद्यपि भूमि उपयोग शब्द का प्रयोग कार्ल सावर (1999) तथा जोन्स एवं प्रिंच (1923) द्वारा अपनी पुस्तकों में वर्तमान शताब्दी के प्रथम चरण में किया गया था, परन्तु भारतीय सन्दर्भ में सफी तथा भाटिया के कार्य अधिक समीचीन हैं।

भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह का माध्यम तहसील कार्यालय का मिलान खसरा है। लघुस्तरीय नियोजन हेतु ग्राम्य स्तर के भूमि उपयोग का विश्लेषण किया गया है। तहसील कार्यालय का आंकड़ा पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य स्रोत प्रमाणित एवं उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। अध्ययन–क्षेत्र के भूमि उपयोग को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभक्त करके उसके वितरण एवं परिवर्तन प्रतिरुप की व्याख्या की गयी है –

(क) कृषि अयोग्य क्षेत्रफल
(ख) कृषि योग्य परती भूमि
(ग) कृषिगत भूमि
(घ) वन।

परन्तु अध्ययन क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल बहुत कम है। सम्पूर्ण क्षेत्र में मात्र 1115.00 हेक्टेअर वन हैं। उसमें भी तीन चौथाई से अधिक क्षेत्रफल काश्तकारों के नाम पट्टा दर्ज हो गया है। केवल 32.00 हेक्टेअर क्षेत्रफल वन हैं। इसलिए मात्र तीन वर्गों का ही विश्लेषण किया जा रहा है और उसके लिए न्याय पंचायत प्राथमिक इकाई चुना गया है।

कृषि अयोग्य क्षेत्रफलः–

भूमि की उस श्रेणी के अन्तर्गत जल प्लावित क्षेत्र, ऊसर, रेह क्षेत्र, बंजर जिस पर कब्रिस्तान एवं मरुभूमि, सड़क रेल, अधिवास के अधीनस्थ भूमि एवं अन्य कारणों से अकृष्य भूमि को सम्मिलित किया गया है। इस श्रेणी की भूमि का उपयोग कृषि कार्य में सम्भव नहीं है। वर्तमान युग की वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा तथा सरकार के समन्वित ग्रामीण विकास योजना के ''ऊसर सुधार योजना'' के अन्तर्गत कुछ भूभाग कृषि योग्य बनाये जा रहें हैं, लेकिन अधिक परिश्रम एवं लागत लगने के कारण अपेक्षाकृत सफलता कम मिल पा रही है। अध्ययन क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल की 15.37 प्रतिशत भूमि अकृष्य है। इसमें कुछ मौसमी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिस पर कभी–कभी जायद की फसल उगायी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष भर अनुपयोगी रहती है। न्याय पंचायत स्तर पर इस वर्ग की भूमि का क्षेत्रीय अन्तर सामान्य पाया जाता है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अध्ययन क्षेत्र की 1.04 प्रतिशत (219 हेक्टेअर) भूमि ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि है। नहरों के किनारों का भाग वर्ष के अधिकांश समय जल प्लावित रहता है। उस पर कृषि कार्य नहीं हो पाता है जो धीरे–धीरे कृषि अयोग्य होता जा रहा है। क्षेत्र के विकासखण्ड में तालाबों एवं झीलों की संख्या अधिक है। कुल क्षेत्रफल का 1.16 प्रतिशत भूमि पर आज भी रेह, कंकण आदि हैं। जिस पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो पाता है। 219 हेक्टेअर ऊसर भूमि भियाँव विकासखण्ड की है। यहाँ कुल 30.25 हेक्टेअर भूमि अकृष्य है। कब्रिस्तान, अधिवास एवं यातायात मार्ग हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वाधिक भूभाग अधिवास के उपयोग में लाया जाता है। विकासखण्ड भियाँव में अधिवासों की सर्वाधिक अवस्थिति है।सडकों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार हुआ है। रेलवे की असुविधा के फलस्वरुप इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत अधिक पाया जाता है।

कृषि के लिए अप्राप्त भूमिः–

भूमि के इसी वर्ग को कृषि योग्य परती भूमि भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत लकड़ी के बाग, वन विभाग के अधीन तथा उसके अतिरिक्त जंगल, झाड़ी प्रदेश, स्थायी चारागाह, छप्पर छाने वाली घासें तथा पुरानी परती एवं अन्य कृषि योग्य भूमि सम्मिलित की गयी हैं जो किन्हीं कारणों से कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं होती हैं। इस वर्ग की भूमि पर कृषि कार्य सम्भव है, परन्तु अनुकूल परिस्थिति के अभाव में कृषि नहीं हो पाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.59 प्रतिशत कृषि कार्य के लिए अप्राप्त है जिसमें बाग, जंगल, चारागाह तथा पुरानी परती के क्षेत्रफल का प्रतिशत क्रमशः 0.29 प्रतिशत 0.11 प्रतिशत तथा 5.28 प्रतिशत है। शेष 1.89 प्रतिशत भूमि पर मन्दिर, कारखाना, खेलकूद, चकरोड आदि का विस्तार है, जो कृषि के लिए अप्राप्त क्षेत्रफल है।

तालिका – 1

विकासखण्ड भियाँव : सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरुप वर्ष 2016

क्रमांक	भूमि उपयोग श्रेणी	क्षेत्रफल (हे0 में)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
A-	कृषि अयोग्य भूमि		
	i. ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	3244	15.37
	ii. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी भूमि	219 3025	1.04 14.33
B-	कृषि योग्य अप्राप्त भूमि		
	i. कृषि योग्य बंजर भमि	1603	7.59
	ii. उद्यान, बाग–बगीचा एवं झाड़िया	401 63	1.89 0.29
	iii. चारागाह	24	0.11
	iv. पुरानी परती	1115	5.28
C-	कृषि योग्य क्षेत्रफल	16342	77.42
	i. वर्तमान परती भूमि	752	3.56
	ii. वन	32	0.15
D-	कृषिगत क्षेत्रफल	15558	73.71
E.	दो फसली क्षेत्र	8246	39.06

(स्रोत–तहसील मुख्यालय जलालपुर, मिलान खसरा फसली 1419, सन् 2016, कृषिगत क्षेत्रफल का प्रतिशत)

शुद्व कृषिगत क्षेत्रफलः–

अध्ययन क्षेत्र की 15558 हेक्टेअर भूमि शुद्व कृषिगत है जबकि सम्पूर्ण कृषिगत भूमि 16342 हेक्टेअर है। 3025 हेक्टअर कृषि योग्य होते हुए कृष्येतर कार्यों में संलग्न है। वल्दीपुर न्याय पंचायत की सर्वाधिक 495 हेक्टेअर भूमि तथा गोवरी चाँदपुर न्याय पंचायत की सबसे कम 201 हेक्टेअर भूमि कृष्येतर कार्यो में संलग्न है। न्याय पंचायत मरहरा में 320, भियाँव में 282, दुल्हूपुर में 351, अजमलपुर में 250, अम्बरपुर में 225, आशापार में 291, वल्लीपुर में 307 तथा पक्खनपुर में 329 हेक्टेअर भूमि कृष्येतर कार्यो में संलग्न है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिन भागों में विविधि रूप से कृषि सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर शुद्व कृषिगत भूमि का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक है।

तालिका 2

भियाँव विकासखण्ड : कृषिगत क्षेत्रफल (हे0में) 2016

क्रमांक	न्याय पंचायत	कृषि योग्य क्षेत्रफल हे0 में	कृषिगत क्षेत्रफल हे0 में	कृष्येत्तर कार्यो में संलग्न क्षे0 हे0में
1.	भियाँव	1500	1459	320
2.	मरहरा	1635	1560	282
3.	दुल्हूपुर	1741	1671	351
4.	अजमलपुर	1159	1012	250
5.	वल्दीपुर	2149	2051	475
6.	अम्बरपुर	1481	1375	225
7.	वल्लीपुर	1770	1691	301
8.	आशापार	1325	1300	291
9.	पक्खनपुर	1950	1826	329

RRIJM 2015, All Rights Reserved

10.	गोवरी चाँदपुर	1632	1563	201
योग विकासखण्ड		**16342**	**15558**	**3025**

(स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, भियाँव विकासखण्ड, 2016)

भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तनः–

मानव संस्कृति के विकास की आधारशिला भूमि संसाधन ही है। अतएव क्षेत्र विशेष के सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास नियोजन हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग की दशाओं का तुलनात्मक अध्ययन विगत वर्षों का किया गया है। तालिका.2 अ के अनुसार वर्ष 2016 में कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य अप्राप्त भूमि तथा कृषिगत भूमि का प्रतिशत क्रमशः 15.37, 759 तथा 73.71 है। वर्ष 2010 में दो फसली क्षेत्रफल कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 39.06 प्रतिशत है।इस अवधि में सिंचाई के साधनों का भी विकास हुआ है, जिससे सिंचित क्षेत्र क्रमशः 65.91 प्रतिशत से बढ़कर 68.76 प्रतिशत हो गया। विगत वर्षों में भूमि उपयोग प्रारुप में नये तकनीकों के प्रयोग के कारण विशेष अन्तर आया है। भूमि उपयोग के आंकडों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न समस्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से ऊसर, बंजर एवं परती भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। इस अवधि में दो फसली तथा सिंचित क्षेत्रफल में भी क्रमशः 9.51 प्रतिशत तथा 12.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अकृष्य तथा अप्राप्त कृषि योग्य भूमि के सुधार एवं उपलब्धता के परिणामस्वरुप कृषि योग्य क्षेत्रफल में भी विकास हुआ । शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के साथ ही कृषि विकास सुविधाओं में वृद्धि के फलस्वरुप द्विशस्य क्षेत्र भी बढ़ा है। इसमें वृद्धि का प्रमुख कारण कृषकों में अधिक उपज लेने की प्रवृत्ति और नवाचार प्रसरण का प्रभाव है।

तालिका 2 अ
विकासखण्ड भियाँव : भूमि उपयोग प्रतिशत में परिवर्तन

क्रमांक	भूमि वर्ग	वर्ष 2016	
		क्षेत्रफल हे0 में	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	21106	
2.	अकृष्य भूमि	3244	15.37
3.	कृषि योग्य परती भूमि	1603	7.59
4.	कृषिगत क्षेत्रफल सिंचित असिंचित	15558 14513 789	73.71 68.76 3.73
5.	दो फसली क्षेत्रफल	8246	39.06

स्रोत : तहसील मुख्यालय अभिलेखागार, जलालपुर (अम्बेडकरनगर)।

कृषि गहनताः–

खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि के अन्तर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, घास के मैदान तथा प्राकृतिक चारागाह के अलावा अन्य चारागाह भी सम्मिलित हैं। अर्थात उपलब्ध मिट्टी संसाधन से उत्पन्न खाद्य पदार्थ तथा कच्चे कृषि पदार्थों की उत्पादन क्रिया को कृषि[13] कार्य के अन्तर्गत रखते हैं। अतएव कृषि विकास समन्वित ग्रामीण विकास की प्राथमिक अवस्था है। कृषि विकास की विभिन्न दशाएं कृषि गहनता को प्रभावित करती हैं। उन्नत द्विशस्य क्षेत्र की अधिकता उत्तम कृषि गहनता की सूचक है। सम्पूर्ण विकासखण्ड की सामान्य कृषि गहनता 123.20 है तथा न्यायपंचायत स्तर पर मरहरा (125.91) और दुल्हूपुर (124.90) तथा वल्लीपुर (125.10) में सिंचाई के साधनों की वृद्धि से कृषि गहनता में समुचित विकास हुआ है। न्यायपंचायत भियाँव (12. 00), अजमलपुर (121.71), अम्बरपुर (119.12) एवं आशापार (118.82) में कृषि गहनता कम है। वस्तुतः इनसे सिंचाई का विकास कम हुआ है जससे दो फसली क्षेत्रफल भी कम हैं।

तालिका – 3
न्याय पंचायतवार : कृषि गहनता, सिंचाई गहनता एवं द्विशस्य क्षेत्रफल 2016

न्याय पंचायत	दो फसली क्षेत्रफल का प्रतिशत	कृषि गहनता	सिंचाई गहनता
मरहरा	42.05	125.91	160.03
भियाँव	35.01	120.00	155.72
दुल्हूपुर	40.90	124.90	160.45
अजमलपुर	31.10	121.71	156.43
वल्दीपुर	31.19	125.10	163.12
अम्बरपुर	36.20	119.12	154.32
वल्लीपुर	40.71	123.19	159.05
आशापार	32.01	118.82	153.95
पक्खनपुर	41.59	124.77	160.80
गोवरी चाँदपुर	39.89	122.93	158.93
योग विकासखण्ड	**39.06**	**123.20**	**159.70**

(स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद अम्बेडकरनगर, 2016)

RRIJM 2015, All Rights Reserved

शस्य प्रतिरुपः–

शस्योत्पादन कृषि निष्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रतिशत है। कृषि में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरुप शस्यों के पारस्परिक प्रतिरुप, उत्पादन एवं प्रकार में व्यापक अन्तर आ जाता है।यह सभी शस्यों के प्रतिशत से ज्ञात किया गया है जो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तकनीकी तथा प्रशासनिक इत्यादि कारणों से प्रभावित होता है। अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास का मूलाधार कृषि है, परन्तु यहाँ निर्वाहक कृषि का प्रचलन है। तालिका 3.6 के अनुसार 19824 फसली के 83.28 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। न्यायपंचायत स्तर पर इसमें भी पर्याप्त भिन्नता मिलती है। न्यायपंचायत मरहरा, भियाँव, दुल्हूपुर, अजमलपुर, वल्दीपुर, अम्बरपुर, वल्लीपुर, आशापार, पक्खनपुर एवं गोवरी चाँदपुर में खाद्यान्न के अन्तर्गत प्रयुक्त क्षेत्रफल का प्रतिशत क्रमशः 83.45, 83.09, 82.58, 84.00, 84.81, 82.45, 83.34, 79. 58, 84.39 तथा 84.01 है जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में व्यावसायिक फसलों का उत्पादन अत्यल्प क्षेत्रफल पर किया जाता है। कुल बोये गये क्षेत्रफल के मात्र 7.91 प्रतिशत भाग पर (मुद्रादायिनी) वाणिज्य फस्लोत्पादन किया जाता है जिसमें 5.45 प्रतिशत भूमि पर गन्ना तथा 1.60 प्रतिशत भूमि पर सब्जियाँ उत्पन्न किया जाता है। व्यावसायिक अल्प शस्योत्पादन का प्रमुख कारण है कि प्रत्येक भाग में क्षेत्रीय आपूर्ति की फसलों का उत्पादन कर लिया जाता है जिससे शस्य आर्थिक तन्त्र में अधिक भिन्नता नहीं मिलती है। वस्तुतः अध्ययन क्षेत्र के शस्य प्रतिरुप की विशेषता उनका क्षेत्रीय विशिष्टीकरण है। खरीफ एवं रबी अध्ययन क्षेत्र की महत्वपूर्ण ऋत्विक फसलें हैं।

खरीफः–

ग्रीष्म ऋतु में उगायी जाने वाली फसलों को खरीफ कहा जाता है। यह अध्ययन क्षेत्र का कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मौसम है, क्योंकि इस समय कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 4/5 भाग पर कृषि की जाती है। यह जून से प्रारम्भ होकर नवम्बर तक चलता है। तालिका 3.7 के आधार पर समस्त खरीफ शस्यों का विश्लेषण किया गया है जिससे अनेक प्रकार के कृष्य स्वरुप परिलक्षित होते हैं। शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के 86.72 प्रतिशत भूमि का उपयोग धान्य फसलों के उत्पादन में किया जाता है। अधान्य जैसे तिलहन, गन्ना तथा सब्जियों के उत्पादन हेतु क्रमशः 1.57, 3.19, 5.97 प्रतिशत भूमि प्रयुक्त हुई है। पशुओं के चारे जैसे बजड़ी, बरसीम आदि हरे चारे के उपयोग में केवल 2.63 प्रतिशत भूमि प्रयुक्त हुई है। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ के अन्तर्गत बोयी जाने वाली प्रमुख फसलें निम्नलिखित हैं –

तालिका : 4
न्यायपंचायतवार : खाद्यान्न उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल 2016

न्यायपंचायत	कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल का योग	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल	खाद्यान्न क्षेत्रफल का प्रतिशत
मरहरा	2007	2405	83.45
भियाँव	1957	2355	83.09
दुल्हूपुर	1887	2285	82.58
अजमलपुर	2091	2489	84.00
वल्दीपुर	2223	2621	84.81
अम्बरपुर	1871	2269	82.45
वल्लीपुर	1992	2390	83.34
आशापार	1552	1950	79.58
पक्खनपुर	2152	2550	84.39
गोवरी चाँदपुर	2092	2490	84.01
योग विकासखण्ड	**19827**	**23804**	**83.28**

रबीः–

रबी अध्ययन क्षेत्र की दूसरी प्रधान शस्य ऋतु है। यह अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह से मई प्रथम सप्ताह के मध्य प्रभावी है। इस मौसम में शीत एवं सन्तुलित सिंचाई का आवश्यकता पडती है। तालिका – 3.8 के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्रफल के 46.78 प्रतिशत भाग पर रबी फसलों का उत्पादन होता है। रबी के अन्तर्गत बोये गये कुल क्षेत्रफल के 93.79 प्रतिशत भाग पर खाने योग्य अन्न, तथा 8. 68 प्रतिशत भाग पर दलहन और शेष भाग पर सब्जियां तथा पशु आहार बोया जाता है। रबी के प्रमुख फसलें निम्न हैंः–

गेहूँ :–

(चावल) धान के बाद गेहूँ क्षेत्र की दूसरी प्रधान शस्य है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्रफल का 39.44 प्रतिशत, तथा रबी में बोये गये क्षेत्रफल का 84.30 प्रतिशत भूमि प्रयुक्त होती है। गेहूँ की कृषि के लिए उचित सिंचाई एवं उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूँ के नये किस्मों के आविष्कार एवं कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग में गेहूँ की उत्तम पैदावार की जाती है। फलतः अनेक क्षेत्रों में गेहूँ व्यावसायिक फसल का स्थान प्राप्त कर लिया। प्रमुख खाद्यान्न होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गेहूँ का विक्रय भी किया जाता है जिससे अन्य फसलों की अपेक्षा गेहूँ की उपज पर अधिक ध्यान दिया जाता है। विकास खण्ड भियाँव में सर्वाधिक अजमलपुर न्याय पंचायत में बोया जाता है। क्षेत्र में बोये गये भूमि के कुल प्रतिशत का 13.13 प्रतिशत दुल्हूपुर, 11.72 प्रतिशत वल्दीपुर, 11.23 प्रतिशत मरहरा 9.13 प्रतिशत, भियाँव 8.23 प्रतिशत, अम्बरपुर 8.30, वल्लीपुर 9.95, पक्खनपुर 9.20, गोवरीचाँदपुर 8.61 प्रतिशत तथा आशापार 10. 50 प्रतिशम भाग में बोया जाता है। न्याय पंचायत स्तर पर गेहूँ के वितरण में अधिक भिन्नता नहीं पायी जाती है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका – 5
न्याय पंचायतवार : विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल

क्र0	न्याय पंचायत	गेहूँ	उर्द	जौ	मक्का	चना	मटर	गन्ना	सरसो/लाही	आलू
1.	मरहरा	1105	22	12	15	10	43	69	17	32
2.	भियाँव	1092	19	11	17	09	53	71	18	46
3.	दुल्हूपुर	825	17	12	18	15	38	73	22	41
4.	अजमलपुर	932	22	14	13	09	37	77	21	40
5.	वल्दीपुर	882	16	12	12	11	58	72	22	36
6.	अम्बरपुर	928	20	13	16	11	60	78	19	40
7.	वल्लीपुर	1095	23	07	14	13	57	79	21	42
8.	आशापार	885	20	11	14	14	53	62	17	45
9.	पक्खनपुर	796	15	10	15	12	59	67	22	40
10.	गोवरी चाँदपुर	1108	17	12	18	12	52	75	19	39
योग वि0ख0		9828	192	114	152	116	510	1364	198	401

स्रोत : जीन्सवार खरीफ, रवी, चिट्ठा विकासखण्ड भियाँव, फसली 1419 (सन् 2016)

जायदः–

अध्ययन क्षेत्रों में जायद की फसलों पर कम ध्यान दिया जाता है। सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्रफल के मात्र 1.69 प्रतिशत भाग, पर जायद की कृषि की जाती है। जायद की कृषि में प्रमुख रुप से मूंग, उर्द, सनई, सोयाबीन, शकरकन्द और सब्जियों को साम्मिलित किया गया है। न्याय पंचायत दुल्हूपुर एवं गोवरीचाँदपुर में क्रमशः 090 हेक्टेअर और 110 हेक्टेअर, इसके अतिरिक्त अम्बरपुर, अजमलपुर एवं वल्लीपुर न्याय पंचायत में क्रमशः 0.86 हेक्टेअर, 0.79 हेक्टेअर एवं 0.69 हेक्टेअर भूमि जायद की उपज में प्रयुक्त होती है। शहरी क्षेत्रों में सन्निकट वाले भागों में अपेक्षाकृत अधिक जायदी फसलें बोयी जाती हैं।

शस्य प्रतिरुप परिवर्तनः–

कृषि में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरुप शस्यों के पारस्परिक प्रतिरुप, उत्पादन एवं प्रकार में व्यापक अन्तर आ जाता है। विगत 40 वर्षों के शस्य–भू–उपयोग–प्रतिरुप का विश्लेषण किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि विगत दशकों में अध्ययन क्षेत्र के शस्य– भू– उपयोग –प्रतिरुप में बहुत अन्तर आया है। यह अन्तर क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक एवं अन्य कृषि विकास संयन्त्रों, उर्वरकों और नवीनतम् अधिक उपज के बीजों के विकास और पर्याप्त प्रयोग को परिलक्षित करता है। क्षेत्रीय विकास के फलस्वरुप उदरपूर्ति की समस्या–समाधान हेतु गेहूँ की कृषि में 1971 से 2016 के मध्य 750.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक कीर्तिमान है।

तालिका 6
भियाँव विकासखण्ड : खरीफ शस्य प्रतिरुप परिवर्तन का अन्तर

फसल	परिवर्तन प्रतिशत का अन्तर		
	1970–1971 से 1980–1981	1995–1996 से 2000–2001	2010 से 2016
धान	+20.68	+ 34.13	+ 64.29
ज्वार बाजरा	+29.85	+ 23.01	+ 72.01
गन्ना	+21.59	- 1.42	+ 20.51
उर्द, मूंग	- 55.50	+ 105.51	- 23.66
मक्का	- 12.57	+ 83.52	+ 58.59
सांवा, कोदो	- 23.02	- 84.51	- 89.50
अन्य	+ 25.83	- 93.54	- 94.15
योग विकासखण्ड	**+ 11.87**	**+ 12.53**	**+ 24.10**

स्रोत : जीन्सवार खरीफ चिट्ठा, विकासखण्ड भियाँव, फसली 1419 (सन् 2016)

खरीफ :–

पिछले 40 वर्षों में खरीफ के अन्तर्गत बोये जाने वाली फसलों तथा उनके क्षेत्रफल में पर्याप्त अन्तर आया है। धान खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। खरीफ के अन्तर्गत बोयी गयी भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की कृषि होती है। वर्ष 1970 में कुल खरीफ के अन्तगत बोये गये क्षेत्रफल के 79.20 प्रतिशत भाग पर धान की खेती की गयी, जबकि 2016 में कुल खरीफ के क्षेत्रफल के 79.02 प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की गयी जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में धान की कृषि का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। सांवा, कोदो, उर्द, मूंग, गन्ना और अन्य मोटे अनाजों में ह्रास हुआ है जबकि ज्वार, बाजरा, अरहर तथा मक्का में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है कि जनाधिक्य के विकास से फसलों की अधिक कृषि की जाती है जिनमें उपज एवं उदर पूर्ति की क्षमता दोनों अधिक हो।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका 7
विकासखण्ड भियाँव : रबी शस्य प्रतिरुप परिवर्तन का अन्तर

फसल	परिवर्तन प्रतिशत का अन्तर		
	1970–71 से 1980–81	1995–96 से 2000–2001	2002–03 से 2010–2016
गेहूँ	- 14.58	+ 353.52	+ 382.92
चना, मटर	+43.01	- 20.59	+ 10.82
जौ	+15.29	- 82.19	- 75.95
बेझर	- 5.45	- 84.52	- 86.00
अन्य	+10.83	+ 89.59	- 88.79
योग विकासखण्ड	**+ 9.21**	**+ 15.49**	**+ 27.34**

स्रोत : जीन्सवार रवी चिट्ठा, विकासखण्ड भियाँव, फसली 1419 (सन् 2016)

रबीः–

वर्ष 1980–81 में रबी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में 9.21 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। वर्ष 2000–2001 के मध्य 15.49 प्रतिशत तथा 2002–03 से 2010–16 के मध्य 27.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001 से 2016 के मध्य सिंचाई के साधनों के विकास, उत्तम कृषि यन्त्र, उन्नतशील बीज के आविष्कार, भू–संरक्षण, भू–सुधार, उर्वरकों एवं रसायनों का प्रयोग तथा अन्य नवीन प्रविधियों के निष्पादन के फलस्वरुप गेहूँ का कृष्य क्षेत्र बढ़कर 78.43 प्रतिशत हो गया। फलतः 1970–71 से 2000–01 के मध्य तीस वर्षों में 328.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका क्रम निरन्तर जारी है।

जननांकीय भूमि अनुपातः–

किसी क्षेत्र के वास्तविक कृषिगत विकास का उपयुक्त सूचकांक भूमि अनुपात है। इसका आकलन प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषिगत भूमि एवं उसके शस्यीय क्रम की गणना के आधार पर किया गया है। जिसके लिए सफल बोये गये क्षेत्रफल का प्रति व्यक्ति अनुपात और कुल कृषिगत भूमि का प्रति व्यक्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए कायिक तथा कृषिगत घनत्व ज्ञात किया गया है। इससे न्याय पंचायत स्तर पर दो फसली क्षेत्रों में एवं कृष्य भूमि के विकास की सम्भावनाओं का विश्लेषण किया गया है। विकासखण्ड भियाँव का औसत कायिक घनत्व 11.21 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर तथा कृषिगत घनत्व 1.97 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर है। अध्ययन क्षेत्र के सभी भागों में द्विशस्य क्षेत्रों एवं कृष्य भूमि पर जना–भार के अनुपात में समरुपता परिलक्षित होती है।

भियाँव विकासखण्ड की न्याय पंचायत मरहरा, भियाँव, दुल्हूपुर, वल्दीपुर, आशापार, पक्खनपुर, गोवरीचाँदपुर में कायिक घनत्व 11.21 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर से कम है। इन न्याय पंचायतों में कृषि गहनता एवं सिंचाई गहनता अधिक है। यहाँ पर द्विशस्य क्षेत्रों का विस्तार भी अधिक है जिससे जना–भार कम है। न्याय पंचायत अजमलपुर, अम्बरपुर तथा वल्लीपुर में प्रति हेक्टेअर 11.21 से अधिक व्यक्तियों का भार है। न्याय पंचायत वल्दीपुर तथा गोवरीचाँदपुर का कायिक घनत्व 7.49, 7.42 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर है। इसका प्रमुख कारण है कि इस न्याय पंचायत में कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि तथा कृषि योग्य बंजर का आधिक्य है। उक्त न्याय पंचायत की अधिकांश जनसंख्या कृष्येत्तर कार्यों में संलग्न है।

तालिका 8
न्यायपंचायतवार : जननांकीय–भूमि–अनुपात (व्यक्ति प्रति हेक्टेअर)

क्र0सं0	न्यायपंचायत	कायिक घनत्व	कृषिगत घनत्व
1.	मरहरा	10.99	01.91
2.	भियाँव	09.19	0.90
3.	दुल्हूपुर	08.25	01.10
4.	अजमलपुर	12.20	01.50
5.	वल्दीपुर	07.49	01.99
6.	अम्बरपुर	15.59	01.02
7.	वल्लीपुर	12.32	0.93
8.	आशापार	08.22	01.41
9.	पक्खनपुर	09.21	02.50
10.	गोवरी चाँदपुर	07.42	01.00
	योग विकासखण्ड	**11.21**	**01.97**

(स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिका, विकासखण्ड भियाँव, 2016)

अध्ययन प्रदेश का न्याय पंचायत स्तर पर औसत कृषिगत घनत्व 1.97 है। कृषिगत घनत्व में क्षेत्रीय स्तर पर मात्र 1.05 को औसत विचलन आंकलित किया गया है। क्षेत्र की अजमलपुर न्याय पंचायत में सर्वाधिक कृषिगत जनसंख्या का दबाब 1.50 है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Singh, R.L.	:	Sapatial Planning in India: Perspective Approach towords theory and its Application, N,.G.S.I. Varanasi, No. 28 (1978), P. 45-48.
Stemp L.D.	:	The Land of Britain, its use and misuse 1962, P.-426.
Shafi, M.	:	Land Utilization in Eastern U.P. Aligarh Muslim Unversity, Aligarh.(1960).
Bhattia, S.S.	:	Patterns of Crop Concentration and Diversification in India, Economic Geography 41, (1965).
Village & Town Directory	:	Part XIII-A District Faizabad, (2001).
Statistic Hand Book,	:	District Faizabad (1999).
Hasan, M.	:	'Crop Combination in India' Concept publishing Company, New Delhi, 1982, PP.-61-74.

RRIJM 2015, All Rights Reserved